10 रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

अजीत सिंह पिता दुर्जन सिंह तिवारी (मृत) द्वारा वारसान

1— श्रीकांत पिता अजीत सिंह तिवारी

2— कोमल प्रसाद पिता अजीत सिंह तिवारी

3— शिवकुमार पिता अजीत सिंह तिवारी

4— अवध कुमार पिता अजीत सिंह तिवारी

5— जनक कुमार पिता अजीत सिंह तिवारी

6— मिथलेश बाई पिता अजीत सिंह तिवारी

7— कृष्णा बाई बेवा अजीत सिंह तिवारी

सभी साकिन मवई थाना स्लीमनाबाद तहसील बहोरीबंद जिला कटनी .... पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

1— जवाहर सिंह पिता दुर्जन सिंह तिवारी (मृत) द्वारा वारसान

1— शरदचंद्र पिता जवाहर सिंह तिवारी

2— अमर सिंह पिता जवाहर सिंह तिवारी

3— सियाबाई बेवा जवाहर सिंह तिवारी

2— जनार्दन सिंह पिता दुर्जन सिंह तिवारी

3— सुरेन्द्र सिंह पिता दुर्जन सिंह तिवारी

सभी निवासी ग्राम मवई थाना स्लीमनाबाद तह. बहोरीबंद जिला कटनी ......गैरपुनरीक्षणकर्तागण

धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता के अंतर्गत पुनरीक्षण

उपरोक्त पुनरीक्षणकर्तागण न्यायालय श्रीमान आयुक्त संभाग जबलपुर के प्र.क्र. 478/अ/6/97—98 में पारित आदेश दिनॉक 23.09.2016 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीण पेश कर रहे है, जो कि अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर की अधिकारिता में ग्रहणीय एवं श्रवणीय है। पुनरीक्षण समय सीमा में है।

पुनरीक्षण के तथ्य

1— यह कि पुनरीक्षणकर्तागण के पिता स्व. अजीत सिंह ग्राम मवई तहसील सिहोरा (अब बहोरीबंद) जिला जबलपुर (अब कटनी) स्थित भूमि खसरा नं. पुराना 44/3, 44/4, नया 72, खसरा नं. पुराना 44/5, 46/2, 64/2 65/2, नया 70, पुराना 77/2, 99/1 120/3क, 122, 123/2क, नया 200, पुराना 97/4अ, 123/2ख, 124/1ख, 97/4ख, 123/2क, 123/1ख, 124/2ख, नया 201, पुराना 134, 134/4, 134/7 नया 189 पुराना 787/1ख, 787/2,ख, नया 1707 व पुराना 1000, 1001 नया 405 के भूमि स्वामी मालिक थे, भू—अधिकार अभिलेख वर्ष 1989 में भी अजीत सिंह वल्द दुर्जन का नाम उक्त विवादित खसरा नं. की भूमि बहैसियत भूमिस्वामी के रूप में दर्ज था व उनकी मृत्यु के बाद आज भी पुनरीक्षणकर्तागण काबिज कास्तकार है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3618-एक/16 **जिला** - कटनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.04.18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 478/अ-6/97-98 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम मवई नं.ब. पुराना 10738 खसरा नं. 44/3, 46/2, 65/2, 134/5, 259/6, 64/2, 97/2, 97/3, 98/1, 121, 122, 123/1क, 123/1ख, 124/1ख कुल रकवा 27 एकड़ भूमि के नामांतरण हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.08.1995 द्वारा विधिवत नामांतरण आदेश पारित किया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। जो उनके आदेश दिनांक 26.06.98 द्वारा अस्वीकार की गई। जिसके विरुद्ध आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई, जो आदेश दिनांक 23.09.2016 द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदकगण द्वारा माता-पिता के भू-स्वामित्व संबंधी कोई मूल दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किए गए और ना ही उन्हें प्रदर्श किया गया है, जिसमें उनके नाम का उल्लेख हो और उनकी मृत्यु के बाद विवादित भूमि में अकेले पुनरीक्षणकर्ता का नाम दर्ज	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक। आदि के हस्ताक्षर
	हुआ हो इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा आवेदक के भू-स्वामित्व की भूमि पर अवैधानिक रूप से नाम दर्ज कर एवं स्वत्व निर्धारण अधिकारिता के बाहर आदेश पारित किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि निम्न न्यायालय में आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क एवं प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों का अवलोकन व परीक्षण नहीं किया और स्वेच्छापूर्ण आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त योग्य है। अपील न्यायालयों का कर्तव्य है कि उसके द्वारा अपील के तथ्यों और विधि संबंधी प्रश्नों पर गंभीरता से अवलोकन कर उचित न्यायालय निर्णयन हेतु उचित निष्कर्ष निकाले, परंतु निम्न न्यायालय ने अपील प्रकरण में पेश मूल अभिलेखों के आवेदन-पत्रों व दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन गंभीरता व सूक्ष्मता से ना कर तथ्यात्मक व विधिक भूल की है अत: पारित आदेश निरस्त योग्य है। 4. अनावेदकगण पूर्व से एक पक्षीय हैं। 5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विधिवत इश्तहार जारी किया जाकर एवं अनावेदकों का जवाब लिया जाकर आदेश पारित किया गया है एवं आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विवादित भूमि आवेदक एवं अनावेदक की पैतृक संपत्ति है, जिस पर सभी भाइयों का बराबर-बराबर का अधिकार है तथा बिना अधिकार के अनावेदक के पक्ष में किया गया नामांतरण शून्य है तथा विधि के अंतर्गत प्रभावहीन है ऐसे नामांतरण को कभी भी निरस्त किए जाने में कोई बाधा नहीं है। अत: विवादित भूमि पर आवेदक अजीत सिंह के साथ सहखातेदार के रूप में अनावेदक जवाहर सिंह, जनार्दन सिंह, सुरेन्द्र सिंह का नाम जोड़ने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी विचारण न्यायालय के आदेश की	

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3618-एक/16 **जिला** - कटनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पुष्टि करने में कोई अवैधानिक कार्यवाही नहीं की गई है। प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती हैं, जिनमें हस्तक्षेप किये जाने का काई आधार प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस किया जाये। (एम.गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	